Rcm
2019/0010

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

शाजीदुन्निसा बनाम छोटु वगै0

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र धारा 144 सी.पी.सी. न0......34...... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09.05.19	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण संख्या 20/2005 में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.04.2013 को वादग्रस्त आराजी ख0न0 417, 418 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम ढ़ोढ़रिया बाबत् निर्णय व डिक्री पारित कर प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 को हिस्सा 3/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया था। जिसका अमल तत्समय ही राजस्व रिकॉर्ड मे कर दिया गया था। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्राथीयॉ ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष अपील संख्या 44/2013 प्रस्तुत की थी। जिसका निर्णय दिनांक 27.05.2014 को किया जाकर पारित निर्णय व डिक्री 12.04.2013 को अपास्त कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्ड़ल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 3744/2014 व 4082/2014 प्रस्तुत की थी। जिसका निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 23.07.2017 को किया जा चुका हैं। इस कारण दिनांक 12.04.2013 को पारित निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी पीपलू प्रभावहीन हो चुकी हैं और रिकॉर्ड की पूर्व स्थिती को कायम किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों व संलग्न निर्णय की प्रतियों व धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रा0 पत्र न्यायहित में विधिसंगत होने से स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता हैं कि वे राजस्व रिकॉर्ड में निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2013 से पूर्व की स्थिती अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को कायम करें। तहसीलदार पीपलू को तहरीर जारी हो। प्रा0पत्र निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। sd/-	

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू